UPMP010009582008

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02717

सत्र परीक्षण सं० 659/2008

राज्य

बनाम

रानू पुत्र हेतराम निवासी चौगान थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

..........अभियुक्त

अपराध संख्या 37/2005

धारा –364 भा.दं.सं.

थाना – कुर्रा, जिला मैनपुरी।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्तगण	रानू
प्रतिनिधित्व	विद्वान अधिवक्ता सुबोध पाठक
घटना की तिथि	06.04.2005
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	15.04.2005
आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि	26.09.2005
आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	04.02.2006
सत्र सुपुर्दगी	14.08.2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	05.09.2009
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	05.09.2009
अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किये जाने की तिथि	23.06.2026
निर्णय की तिथि	29.07.2026

(i) अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की सूची :–

क्रम सं.	साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	पी.डब्लू. 1	वीरेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा
2.	पी.डब्लू. 2	शिव कुमार	अपहृत
3.	पी.डब्लू. 3	आदेश	अपहृत
4.	पी.डब्लू. 4	डॉ. ए.के दुवे	चिकित्सीय साक्षी

5.	पी.डब्लू. 5	सेवानिवृत्त एस.आई पन्नालाल यादव	अन्तिम विवेचक
6.	पी.डब्लू. 6	सेवानिवृत्त एस.ओ रामशब्द	प्रथम विवेचक

(ii) अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य

क्रम संख्या	साक्षी, जिसके द्वारा अभिलेख को साबित किया गया	प्रदर्श संख्या	प्रकार
1.	पी.डब्लू० 1	प्रदर्श क– 1	लिखित तहरीर
2.	पी.डब्लू० 1	प्रदर्श क– 2	पकड़ के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र
3.	पी.डब्लू० 1	प्रदर्श क– 3	फर्द सुपुर्दगीनामा
4.	पी०डब्लू० 2	प्रदर्श क– 4	प्रार्थना पत्र की पुश्त पर लिखी इबारत
5.	पी०डब्लू० 5	प्रदर्श क– 5	अभियुक्त रानू के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र
6.	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क– 6	नक्शा नजरी
7.	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क– 7	अभियुक्त घनश्याम उर्फ घिस्सू, प्रेम सिंह, पप्पू उर्फ बाबू सिंह के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र
8.	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क– 8	चिक एफ.आई.आर
9.	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क–9	जी.डी

निर्णय

1– पुलिस थाना कुर्रा जिला मैनपुरी द्वारा अभियुक्त रानू के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 364 भा.दं.सं. के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 14.08.2008 को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किये जाने के पश्चात इस मामले में विचारण किया गया है।

2– अभियोजन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना कुर्रा पर एक तहीर इन कथनों के साथ दी गयी कि दिनांक 06.04.2005 को सुबह करीब समय 08.30 बजे वादी वीरेन्द्र सिंह के गांव के घनश्याम सिंह पुत्र शिवपाल सिंह ठाकुर तथा प्रेम सिंह पुत्र हरीराम जाटव निवासी मुडैना थाना भरथना जिला इटावा वादी के घर पर आये। वादी के चचेरे भाई विजयबहादुर को बताया कि मुझे शिवकुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह व आदेश कुमार पुत्र शिवपाल सिंह को स्वदेश कुमार पुत्र शिवपाल सिंह की जमानत के लिये इलाहाबाद ले जाना है। इन दोनों लोगों ने स्वदेश की माता जी को भी यही बात बतायी और ये दोनों लोग शिव कुमार व आदेश को अपने साथ ले गये। जब आदेश व शिवकुमार घर वापस लौटकर नहीं आये तो काफी तलाश किया, परन्तु कोई पता नहीं चला। मुझे विश्वास है कि मुल्जिमानों में मेरे पुत्र शिवकुमार व आदेश कुमार की कहीं हत्या

न कर दें। शिवकुमार व आदेश कुमार को ले जाते हुये अरविन्द कुमार व ब्रजपाल सिंह ने देखा तथा शैलेन्द्र सिंह निवासी सुकचैनपुर थाना कुर्रा ने भी देखा ।

3– वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी में मुकदमा अपराध सं०–37/2005, अन्तर्गत धारा 364 भा०दं०सं० दिनॉक 15.04.2005 को जी.डी. नं.22 समय 22.30 बजे दिनांक 15.04.2005 अभियुक्तगण घनश्याम व प्रेम सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना आरम्भ की गयी, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र० सं० अंकित किये गये एवं अन्य साक्ष्य संकलित की गयी। दौरान विवेचना पप्पू उर्फ बाबू सिंह व रानू का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्त रानू की तलाश की किन्तु दस्तयाब नहीं हुआ, तमामी विवेचना व सम्पूर्ण संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण घनश्याम उर्फ घिस्सू, प्रेमसिंह, व पप्पू उर्फ बाबू सिंह के विरूद्ध धारा– 364 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त रानू की गिरफ्तारी शेष रही विवेचना प्रचलित उसके पश्चात अभियुक्त रानू को बी वारंट इटावा जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा इटावा जेल में अभियुक्त का बयान अंकित किया गया तथा तमामी विवेचना व पर्याप्त साक्ष्य संकलित किये जाने पर अभियुक्त रानू के विरूद्ध धारा 364 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

4– मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त रानू के विरूद्ध धारा 364 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप दिनॉंक 05.09.2009 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मॉंग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराये गये साक्षियों की सूची एवं अभियोजन की ओर से साबित कराये गये अभियोजन प्रपत्रों की विस्तृत सूची निर्णय के आरम्भ में उल्लिखित सारणी में दी गयी है।

6– अभियोजन की ओर से परीक्षित मौखिक साक्षीगण की साक्ष्य निम्नवत् हैः–

A– साक्षी पी.डब्लू.01 वीरेन्द्र सिंह ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि घटना दिनांक 06.04.2005 सुबह करीब 08.30 बजे की है। मेरे गांव के घनश्याम पुत्र शिवपाल सिंह व प्रेम सिंह पुत्र हरीराम जाटव निवासी मुडैना थाना भर्थना मेरे घर पर आये और मेरे चचेरे भाई विजय बहादुर पुत्र शिवमंगल सिंह से कहा कि मुझे सुदेश पुत्र शिवपाल की जमानत हेतु इलाहाबाद शिवकुमार व आदेश को लेकर जाना है और यह बात उन लोगों ने सुदेश की माताजी को भी बतायी थी। उसके बाद उक्त लोग लेकर चले गये। जब काफी दिनों वापिस नहीं आये तब उक्त लोगों की तलाश हम लोगों ने की। मुझे ऐसा लगा कि उक्त लोगों ने मेरे पुत्र और भाई की हत्या न कर दी हो। तब मैंने प्रार्थना पत्र थाना कुर्रा पर

लिखकर दिया था। यह प्रार्थना पत्र पत्रावली पर सत्र परीक्षण संख्या 57/06 में कागज सं. 10अ/3 प्रदर्श क–1 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, उसकी छाया प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 46अ/1 है यह मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। उस छाया प्रति को मैं असल से प्रमाणित करता हूं। मेरे फालिस मार जाने के कारण में अब लिखने में असमर्थ हूं, इसलिये अपनी निशानी अंगूठी इस प्रति पर लगा रहा हूं इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

मेरे पुत्र शिवकुमार व आदेश कुमार को मुल्जिमान जब घर से ले गये थे। उस समय अरविन्द पुत्र रामनरायन, बृजपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, शैलेन्द्र पुत्र राधे सिंह निवासी सुखचैनपुरा थाना कुर्रा ने भी देखा है। उक्त लोगों ने ही मेरे पुत्र को ले जाकर अगवा किया है। उक्त पकड़ होने के बाद लगभग 8-9 दिन मेरे नाम से एक पत्र भी आया था। वह पत्र मेरे लड़के शिव कुमार द्वारा लिखा गया जिसको हम लोगों ने देखकर अपने लड़के के हस्तलेख को पहचान लिया था जिस पत्र की छाया प्रति मैंने पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 57/06 में दाखिल की थी। मूल प्रति आई.ओ को दे दी थी। उक्त छायाप्रति की काफी इस पत्रावली में कागज संख्या 46अ/2 है जिस पर प्रदर्श क-2 पड़ा है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। दिनांक 17.04.2005 को मेरा लड़का व भाई आदेश कुमार एक अन्य व्यक्ति लालू पुत्र लल्लू गवाह बृजपाल सिंह व विजय बहादुर के समक्ष दरोगा जी ने मुझे सुपुर्द किया था। फर्द मेरे सामने दरोगा जी द्वारा बनायी गयी थी। उक्त पर पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 57/06 पर कां. सं. 5अ/9 प्रदर्श क-3 है उसी की छाया प्रति पत्रावली में कागज संख्या 46अ/3 है इसे मैं प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। मेरे पुत्र व चचेरे भाई को घनश्याम व प्रेमसिंह ने ले जाकर अभियुक्त रानू को बेच दिया था। अभियुक्त रानू ने उक्त लोगों से 10 लाख रूपये देकर पकड़ की थी। समक्ष आने पर मुझे बतायी तथा अन्य लोगों को भी बतायी थी। विवेचक को भी घनश्याम ने यह बात बतायी थी कि आप लोगों के दबाव में व वादी के परिवार वालों के डर के कारण उक्त पकड़ की, मैंने अभियुक्त रानू को दस लाख रूपये में बेचा है। मेरे पुत्र शिवकुमार, आदेश कुमार व लालू तीनों अपहृत को जब मेरे सुपुर्द किया था। उनके शरीर पर चोटों को देखा था जिसका मेडीकल हुआ था। आज अदालत में रानू नहीं है, उक्त तीनों अपहृत को पैसे देकर खरीदा था।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मैंने थाने पर तहरीर दिनांक 15.04.2005 को दी थी। मैंने तहरीर प्रेम सिंह व घनश्याम के खिलाफ दी थी। मैं इन दोनों को पहले से जानता था। जिस समय घटना घटी उस समय मैं सर्विस में था जिस समय घटना घटी समय मेरे स्कूल का समय नौ बजे से साढे तीन बजे का था। मेरे विद्यालय मेरे घर से बारह किमी दूर था। मैं घर से विद्यालय के लिये सुबह आठ बजे निकलता था। मैं साइकिल से विद्यालय जाता था। तहरीर मैंने तीन लोगों के खिलाफ दी थी। एक घनश्याम

पुत्र शिवपाल सिंह दूसरे प्रेमसिंह तीसरे पप्पू के खिलाफ दी थी। मैं घनश्याम को **गांव का** इसलिये जानते थे, बाकी लोगों को नहीं जानता था। मैंने **अपने बयान दिनांक 03.01.2020 में प्रश्न नंबर दो पर बयान दिया कि " मेरे पुत्र शिवकुमार व आदेश कुमार को मुल्जिमान जब घर से ले गये थे उस समय अरविन्द पुत्र रामनरायन व बृजपाल पुत्र जयराम सिंह, शैलेन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी सुखचैनपुर थाना कुर्रा ने देखा था"। इन लोगों के कहने पर नहीं बल्कि घनश्याम की मां के कहने पर इन लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी।** मुझे सही याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद मेरे पुत्र भाई की बरामदगी हो गयी थी। जब वह बरामद हो गये थे, तब थाने में मुझे बुलाकर उनकी सुपुर्दगी दी थी। **मैंने यह सूचना पुलिस को नहीं दी थी कि मेरे पुत्र व भाई को मुल्जिमान बंधक बनाकर रखे हुये हैं। मैंने इन मुल्जिमान घनश्याम, प्रेम सिंह, पप्पू के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। सत्र परीक्षण संख्या 57/06 एस.एस.जे/ स्पेशल (डी.ए.ए) मैनपुरी सरकार बनाम घनश्याम जो उपरोक्त केस सम्बन्धित पत्रावली है जिस पर गवाह को उसका बयान दिनांक 23.03.2004 दिखाया गया तो उस पर मेरे हस्ताक्षर को सकते है मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि इस बयान की प्रति परीक्षा दिनांक 29.08.2007 के पेज नं. दो पर बारबी लाइन से सौलबी लाइन तक मेरे बयान दिया है कि "शिवकुमार व आदेश ने मुझे किसी गिरोह का नाम पकड़ करने वालों का नहीं बताया था, गिरोह के सम्बन्ध में कोई बात नहीं बतायी थी। यह बात सही है कि मैंने अपने बयानों में यह बात भी बतायी है कि मेरे पास पकड़ छुड़ाने के लिये सात लाख इकावन हजार रूपये की चिट्ठी आयी थी। मुझे यह जानकारी है कि सत्र परीक्षण संख्या 57/06 राज्य बनाम घनश्याम में अभियुक्तगण बरी हो गये हैं। यह कहना सही है कि अभियुक्त रानू को ले जाते हुये मेरे भाई व पुत्र को ले जाते हुये मैंने व गांव वालों नहीं देखा है।** मैं यह नहीं बता सकता कि जो पत्र फिरौती हेतु भेजा गया वो पत्र किस के हस्तलेख में एक प्रति मेरे पुत्र के हस्तलेख में है, एक प्रति किसके हस्तलेख में मैं नहीं बता सकता, उस पर रंगा बिल्ला का नाम लिखा हुआ है। **मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे यह बात किसने बतायी थी कि अभियुक्त रानू को घनश्याम व प्रेमसिंह ने पकड़ के रूप मे दस लाख रूपये में बेच दिया है।**

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

B- साक्षी पी.डब्लू.2 शिव कुमार ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि - घटना आज से 20 साल पूर्व की है, दिनांक मुझे याद नहीं है। **घटना वाले दिन समय लगभग 4-5 बजे शाम को आदेश के घर पर घनश्याम और प्रेम सिंह आये थे।** उस समय किसी केस में आदेश का छोटा भाई सुदेश जेल में बंद था। ये लोग जमानत के बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं भी आदेश के यहां पहुंच गया था। ये लोग आदेश को इटावा ले जाना

चाहते थे। आदेश और घनश्याम जा रहे थे, तभी मैंने घनश्याम से कहा था कि मेरी कहीं नौकरी लगवा दो, घनश्याम ने मुझे नौकरी लगवाने का तो बोला तो मैं भी इनके साथ इटावा आ गया, इटावा घनश्याम के घर पर आ गया। **अगले दिन शाम के 4-5 बजे** प्रेम सिंह पंडित के घर पर ले गये। मेरे साथ उस समय आदेश भी था। हम लोगों ने वहां पर प्रेम सिंह का इन्तजार किया। शाम को लगभग 7-8 बजे प्रेम सिंह आ गये थे। उसके बाद घनश्याम और प्रेम सिंह दोनों लोगों ने कहा कि भट्टे पर मुनीम के पास चलते हैं। उस समय रात हो गयी थी, भट्टे के ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। ये भट्टा चांद मिया का भट्टा बोलते हैं। हम लोग भट्टे पर बैठ गये, प्रेम सिंह और घनश्याम मुनीम को बुलाने चले गये थे। उसके बाद तभी पीछे से अचानक 6-7 लोग आये और आते ही मुझे और आदेश को पीछे से पकड़ लिया। इस बात की जानकारी मुझे बाद में हुई कि रानू के साथ 6-7 लोग आये थे। रानू के पिता का नाम हेतसिंह है और ये चौगॉन गांव जिला इटावा का रहने वाला है। ये लोग मुझे व आदेश को भट्टे के पास कुंआ से खींचकर ले गये थे। हम लोगों से रानू ने पूछा था कि तुम लोग यहां क्या करने आये हो तो मैंने बताया था कि हम जमानत के लिये आये थे। रानू और उसके साथी बदमाशों ने हम लोगों को बहुत मारा पीटा और हम लोगों के हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बांध दिये थे। उसके बाद जमुना नदी के किनारे पर आये एक व्यक्ति नाव लेकर आया और नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर ले गये थे। रानू और उसके साथी बदमाश मुझे व आदेश को बीहड़ में ले गये। बीहड़ में हम लोग 12-13 दिन बंधे डले रहे और हम लोगों को बहुत मारते पीटते थे। बदमाशों ने मेरे हाथों से एक चिट्ठी मेरे पिता जी के लिये लिखवायी थी। चिट्ठी की छायाप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 46 अ/2 के रूप में उपलब्ध है जिस पर पूर्व से प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है जिसकी पुश्त पर अंकित इबादत को सुनकर कहा कि यह इबादत मेरे हस्तलेख में है, जिसे बदमाशों ने मुझसे लिखवाया था। इस छाया प्रति का मूल पत्र सत्र परीक्षण संख्या 57 / 2006 की पत्रावली पर कागज संख्या 37 अ से उपलब्ध है जिस पर पूर्व से प्रदर्श क-4 पड़ा हुआ है जो कि संलग्न पत्रावली है। छाया प्रति पत्र कागज संख्या 46 अ 2 की पुश्त पर प्रदर्श क-4 डाला गया। **बीहड़ से हम लोग लगभग 12-13 दिन बाद भागे थे शाम को लगभग 4-5 बजे भाग थे। हम लोग पूरी रात भागने बाद सुबह लगभग 3-4 बजे इकदिल पहुंचे थे**। बदमाशों ने जब हम लोगों को पकड़ा था तब भट्टे से एक लम्बा आदमी जिसका नाम लालू था को भी बीहड़ में साथ ले गये थे। रिपोर्ट मेरे पिताजी ने लिखायी थी, जब हम लोग लौटकर आ गये थे तब थाना पुलिस पर हमारा बयान लिया था। यही मेरा बयान है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **ये लोग भट्टे से कुआ तक मेरी आँखे बंद करके ले गये थे। कुआ भट्टे से पास में ही करीब सौ मीटर की दूरी पर था। घनश्याम मुझे नौकरी का लालच देकर ले गये थे लेकिन किसमें नौकरी लगवायेगें यह नहीं**

बताया था और यही भी नहीं बताया था कि नौकरी कहां लगवायेंगे। मैं अपने पिता को बताकर नहीं गया था कि मैं घनश्याम के साथ जा रहा हूं। कुआ और भट्टे के बीच में झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में भट्टे की लेवर थी। कुआं से जमुना जी तक वह लोग मुझे मारते हुये ले गये। कुआं पर जाकर मेरी आँखे खोली थी। कुआं से नदी की दूरी लगभग 01 किलोमीटर थी। कुआं से नदी तक मुझे कोई नहीं मिला। भट्टे से नदी तक और नदी से कुआ तक मैंने कोई चीख पुकार नहीं की थी। घनश्याम मुझे आदेश के भाई की जमानत की बात की कहकर भट्टे पर ले गये थे। घनश्याम ने मुझसे कहा था कि भट्टे पर जो मुनीम है उसकी सेटिंग इलाहाबाद में है वहां जाकर उससे जमानत की बात करेंगे। मैं जमानत की सेटिंग के लिये कोई रूपये नहीं लेकर नहीं गया था जो रूपया हजार पांच सौ रूपये खर्चे जेब में पड़े थे। **बदमाश मेरा पैर जंजीर से बांधकर गये थे, हाथ नहीं बांधकर गये थे और मेरे व आदेश दोनों लोगों का एक पैर बंधा था, हाथ नहीं बंधा था। मैं यह नहीं बता सकता कि बदमाशों ने मेरा एक पैर इसलिये बांधा हो कि हम लोग अपनी जंजीर खोले और भाग जाये। बदमाशों ने मेरे साथ खूब मारपीट की थी। मारपीट में मेरे बहुत-सी चोटे आयी थी जो मैंने पुलिस को दिखायी थी। पुलिस ने हमारा डॉक्टरी मुआयना कराया था** और इतना ध्यान मुझे नहीं है कि मैंने डॉक्टर को बताया हो कि मेरे कहां-कहां चोटे आयी है। **जहां बदमाशों ने मुझे रखा था वहां झोपड़ी बगैरह नहीं थी बीहड़ था। वहां बीहड़ में कोई व्यक्ति आता-जाता नहीं था। मुझे बदमाश के साथियों ने उसका नाम रानू बताया था।** मैं आज से पूर्व जो गवाही दी है उसके बारे में याद नहीं हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। **मैंने बीहड़ से छूटने के बाद बीहड़ व चम्बल के मध्य तथा इटावा इकदिल थाने में कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी।** घनश्याम व मुनीम मुझसे मिलने चम्बल में नहीं आये। छूटने के पश्चात भी ये लोग मुझे नहीं मिले। **मैं बदमाशों से छूटने के बाद इकदिल के दौरखा गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां गया था। मैंने अपने रिश्तेदार बलवीर सिंह को सारी बात बतायी थी। जिस समय मैं दौरखा पहुंचा उस समय सुबह 9-10 का समय था कितने तारीख की बात है यह मैं नहीं बता सकता हूं। वहां से मैंने अपने पिता जी को खबर की थी,** मैं बलवीर सिंह को लेकर अपने घर नहीं आया था। मैंने आज से लगभग 18 साल पहले इस मुकदमें में गवाही दी है। साक्षी को पूर्व गवाही पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने कहा कि यह बात मुझे ध्यान नहीं कि हाजिर अदालत मुल्जिमान पकड़े जाने वालों में नहीं थे, **जिस समय में थाना कुर्रा पहुंचा उस समय मेरे पिता जी मेरे साथ थे। यह बात मुझे ध्यान नहीं है कि उस समय मैंने अभियुक्त रानू का नाम दरोगा जी को बताया था कि नहीं। दरोगा जी मुझे लेकर उस जगह पर नहीं गये थे जहां बदमाशों ने मुझे बंधक बनाकर रखा हो।** बयान लगभग आधे से एक घण्टे बाद मैं अपने घर चला गया था। **जब पुलिस ने घनश्याम, प्रेमसिंह, मुनीम को बयान देने के गिरफ्तार किया था तब मुझे शिनाख्त और पूछताछ के लिये नहीं बुलाया था।**

जितने दिन में बीहड़ में बंधक रहा उतने दिन पैरह पर चार से पांच बदमाश दिन व रात रहते थे। ये बदमाश केवल मेरे एक पैर में हथकड़ी बांधकर रखते और एक पैर व दोनों हाथ खुले रखते थे। मैं जब 3-4 बजे वहां से भागा था तब मैंने जमुना नदी घुसकर पार की थी। उस समय जमुना नदी में पानी था केवल कमर तक था। जहां बदमाशों ने मुझे बंधक बनाकर रखा था वहां से जमुना नदी की दूरी लगभग 01 किलोमीटर की होगी। इतने दिनों में जब मैं वहां बंधक रहा तब वहां पर कोई चरवहा भी वह नहीं आया था। मैंने यह बात पकड़ करने वालों की पकड़ से भागने के बाद रास्ते में किसी को नहीं बतायी थी कि मेरी पकड़ हो गयी हो और मैं छूटकर भागकर आया हूँ। **यह कहना गलत है कि मैं अपने घर से भाग गया हूं और मेरी आदते जुआ व शराब की पड़ गयी हो और मैंने अपने पिता को एक फर्जी पत्र वास्ते फिरौती लिखकर भेजा हो।**

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

C- साक्षी पी.डब्लू.3 आदेश ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि - घटना आज से 20 वर्ष पूर्व की है दिनांक मुझे याद नहीं है। मेरा भाई घनश्याम व प्रेमसिंह घटना से एक दिन पहले मेरे गांव मेरे घर पर आये थे। इन लोगो ने घर पर आकर कहा कि मेरा भाई सुदेश जो कि जेल में बंद था उसकी जमानत करवा देंगे। उसके पश्चात ये लोग मुझे व शिवकुमार को इटावा ले गये थे, इटावा में ये घनश्याम अपने घर पर ले गये थे। वहां पर 5-6 बजे इन्होंने कहा कि चांद मियां के भट्टे पर मुनीम रहता है, मुनीम से बात-चीत करेंगे, उसके बाद मुझे व शिवकुमार को ले जाकर भट्टे पर बैठा दिया था। भट्टे पर पहले रानू आया था फिर उसने हम लोगों से बोला कि तुम लोग क्या यहां भट्टे पर लेबर भगाने आये हो और उसके बाद रानू हम दोनो को हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गये और उसके बाद 5-6 लोग वहां आ गये। फिर रानू व चार-पांच व्यक्ति जो वहां आ गये थे इन लोगों ने मेरे व शिवकुमार के हाथ बांध कर चम्बल नदी के किनारे ले गये थे। मेरे साथ मारपीट नहीं की थी, शिव कुमार के साथ मारपीट की थी। चम्बल नदी के बाद इन लोगों ने एक नाव मंगाकर उसके बैठाकर पल्लवी साइड ले जाकर एक टीले पर डाल दिया था। उस टीले पर हम लोग पन्द्रह दिन तक रहे थे। उसके बाद हम लोग वहां से भाग निकले थे। वहां से हम तीन लोग भागे थे, तीसरा लालू था फिर वहां से भागकर हम लोग द्वारिका में निकले थे, द्वारिका में निकलकर वहां से शिवकुमार के रिश्तेदारों के घर चले गये थे फिर वहां से घर पर सूचना दी थी फिर उसके बाद घरवाले साथ में पुलिस लेकर आ गये थे। थाने पर रिपोर्ट शिवकुमार के घर वालों ने लिखवायी थी। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ की थी, मैंने सारी बात बतायी थी। यह मेरा बयान है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मेरी आज से पहले 08.10.2007 को कोई गवाही नहीं हुई। घनश्याम के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें मेरी कोई गवाही नहीं हुई थी। मेरे साथ भागे बंधकों में लालू पहले से वहां बंधक था। हम लोगों के साथ नहीं पकड़ा था। लालू कहां का था मैं लालू को नहीं जानता। लालू भी मेरे साथ द्वारिकापुर गांव गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि लालू कौन से गांव का रहने वाला था। उसके बाद मैं आज दिन तक लालू से नहीं मिला। पुलिस ने हम लोगों के बयान लिये थे लालू के कोई बयान नहीं लिये थे। **मुझे मुल्जिमान बांध कर रखते थे केवल हाथ बांधकर रखते थे और पैर नहीं बांध कर रखते थे।** मुल्जिमान मुझे खाना पीना देते थे। जब मुल्जिमान खाना पीना देते थे तब मेरे हाथ खोल देते थे। **जहां मुल्जिमानों ने मुझे रखा था। वहां जानवर चराने वाले लोग आते जाते थे। जानवर चराने वाले लोगों को मैंने बताने की कोशिश नहीं की कि मुल्जिमानों ने मुझे बंधक बनाकर रखा है। वहां से चम्बल नदी की दूरी 4-5 किलोमीटर होगी। जब मैं वहां से भागा तो मैंने चम्बल नदी पार करी थी।** नदी मैंने तैर के या नाव से पार नहीं की थी इतना पानी नहीं था। हम लोगों ने पैदल ही नदी पार की थी। **मैंने केवल चम्बल नदी ही पार की यमुना नदी पार नहीं की। जब मुल्जिम रानू पकड़ा था तब पुलिस ने हमे रानू को नहीं दिखाया था। मुनीम के भट्टे से जमुना की दूरी करीब 10-12 किलोमीटर थी। पुलिस हम लोगों के घटना स्थल पर लेकर नहीं गयी थी न ही पुलिस को हम लोगों ने वह जगह दिखायी थी, जहां पर हम लोगों को बंधक बनाकर रखा था।** मेरे से मुल्जिमानों ने कोई फिरौती की चिट्ठी नहीं लिखायी थी न ही मुझसे कोई फिरौती की मांग की थी। **मुझे मुल्जिमान द्वारा मारने की कोई चोट नहीं आयी थी न ही मैंने पुलिस को कोई चोट दिखायी थी।**

अन्य कोई भी उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

D- साक्षी पी.डब्लू.4 डा. ए.के दुवे ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि मैं दिनांक 17.04.2005 को सी.एच.सी करहल पर बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था। उस दिन 09.30 बजे रात को सी.पी 671 राकेश पाल सिंह थाना कुर्रा मेरे पास लालू उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री लल्लू निवासी तिलक नगर- उरई कोतवाली को मेरे पास लेकर आया था। उस समय मजरूब के शरीर पर आयी चोटों का निरीक्षण किया शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी।

चोट नं. 01 रगड़ का निशान 1.5 सेमी X 0.3 सेमी दाहिने घटने के जोड़ पर रगड़ के ऊपर खोपट पड़ा हुआ था।

चोट नं.02 रगड़ का निशान 1.5 सेमी X 0.4 सेमी बाये घुटने के जोड़ पर खोपट मौजूद था।

दोनों चोटे साधारण थी, रगड़ के द्वारा आयी थी। सभी चोटें लगभग एक सप्ताह पूर्व की थी.

उसी दिन समय 09.40 बजे मेरे द्वारा श्री आदेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र श्री शिवपाल सिंह निवासी रम्पुरा थाना कुर्रा के शरीर पर आयी चोटों का निरीक्षण किया था। उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटे आयी थीं। मजरूब के शरीर पर कोई भी दिखने वाली चोट नहीं थी। उसी दिन समय 09.50 बजे श्री शिवकुमार आयु 28 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी रम्पुरा थाना कुर्रा का भी चिकित्सीय निरीक्षण किया था उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी थी-

चोट नं. 01 नीलगू निशान 08 सेमी x4 सेमी दाहिनी बांह पर बाहरी सतह पर जो कि कोहनी के जोड़ से 04 सेमी ऊपर थी, रंग में काली पाली थी।

चोट नं. 02 रगड़ का निशान 3 सेमी x 1.5 सेमी दाहिनी कोहनी पर खुरन्ट मौजूद थी।

चोट नं. 03 रगड़दार नीलगू निशान 03 सेमी x 1 सेमी बांये कोहनी के जोड़ पर रंग में काली थी।

मजरूब द्वारा दोनों कंधों पीठ व छाती पर दर्द की शिकायत की गयी। **सभी चोटे साधारण थी,** किसी कुन्दाले से आयी थी, लगभग एक सप्ताह पूर्व की थी। इंजरी रिपोर्ट वरवक्त मुआयना मैंने तैयार की थी। मजरूब के अंगूठे के निशान लगवाकर प्रमाणित किये थे। उन पर प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-11 डाला गया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। लालू व शिवकुमार की चोटें दिनांक 06.04.2005 से 17.04.2005 के बीच आना संभव है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **आदेश कुमार के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। लालू के हाथों की कलाई, गर्दन व कान पर किसी प्रकार की चोट नहीं थी। यदि किसी व्यक्ति को लगातार हाथ पैर रस्सी से कसकर बांधे गये हो तो उस पर उसके निशान बने दिखेंगे। यदि मजरूब घुटने व कोहनी के बल गिरता है तो इस प्रकार की चोट आ सकती है**।

E- साक्षी पी.डब्लू.05 सेवानिवृत्त एस.आई पन्नालाल ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि - वर्ष 2005 में मैं थाना कुर्रा पर एस.ओ के पद पर तैनात था। दिनांक 14.7.2005 को मु.अ.सं. 37/05 अन्तर्गत धारा 364 भा.दं.सं की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। एस.सी.डी का पर्चा नं. 01 दिनांक 14.07.2005 को किता किया गया जिस पर्चे में उपरोक्त मुकदमें के पूर्व विवेचक एस.ओ रामशब्द द्वारा आरोप सं. 45 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका था। उनके स्थानान्तरण पर जाने के बाद उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी जिसमें अभियुक्त रानू पुत्र हेतराम निवासी चौगान थाना सिविल लाइन जिला इटावा की गिरफ्तारी शेष थी। माननीय न्यायालय से

अनुमति लेकर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अग्रिम कार्यवाही किये जाने का विवरण अंकित है। एस.सी.डी का पर्चा नं. 02 दिनांक 15.07.2005 को किता किया गया, इस पर्चे में पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया गया तथा जिसका संक्षिप्त विवरण सी.डी में किया गया। एस.सी.डी का पर्चा नं. 03 दिनांक 24.07.2005 को किता किया, इस पर्चे में अभियुक्त रानू की गिरफ्तारी हेतु उसके मसकन व संभावित स्थानों पर दविश दी गयी। दस्तयाव नहीं हुआ। एस.ओ सिविल लाइन थाना इटावा को तहरीर दी गयी जिसकी कार्बन प्रति संलग्न की गयी तथा नकल सी.डी की गयी। एस.सी.डी पर्चा नं. 04 दिनांक 29.07.2005 को किता किया गया। इस पर्चे में अभियुक्त रानू के विरूद्ध धारा 82 दं.प्र.सं. प्राप्त कर तामील की गयी तथा अमर उजाला अखबार में प्रकाशन कराया गया, पेपर को संलग्न सी.डी किया गया का विवरण अंकित है। एस.सी.डी का पर्चा नं. 5 दिनांक 09.09.2005 को किता किया गया। इस पर्चे में अभियुक्त रानू का वी वारंट इटावा जेल भेजा गया का विवरण अंकित है। एस.सी.डी का पर्चा नं. 6 दिनांक 26.09.2005 को किता किया गया इस पर्चे में अभियुक्त रानू के जिला जेल इटावा में जाकर बयान अंकित किये थे। अब तक की तमामी विवेचना निरीक्षण घटना स्थल व सबूत बयान गवाहान संकलित करने के उपरान्त अभियुक्त रानू के विरूद्ध जुर्म धारा 364 भा.दं.स का होना बाखूबी पाया गया। अभियुक्त रानू के विरूद्ध आरोप पत्र सं. तितम्बा 45ए चालान न्यायालय किया गया। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया आरोप पत्र सं. 45ए पत्रावली पर कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/3 से उपलब्ध है। यह आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। यही मेरा बयान है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि विवेचना मैंने दिनांक 14.07.2005 को ग्रहण की थी। **अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बी वारंट मेरे द्वारा 09.09.2005 को लिया गया था। अभियुक्त रानू इटावा जेल में बंद था और मैंने इटावा जेल जाकर बयान लिये थे। दिनांक 26.09.2005 को मैंने अभियुक्त के बयान इटावा जेल में लिये हैं। मैंने अभियुक्त रानू का इटावा जेल में कब से बंद है, यह बात जानने का प्रयास किया था लेकिन जानकारी नहीं हुई थी। मैंने जेल प्रशासन इटावा से यह जानने का प्रयास किया था कि अभियुक्त रानू इटावा जेल में कब से है लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पायी । इटावा जेल के लिये कोई पत्राचार नहीं किया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस घटना से पूर्व से ही अभियुक्त रानू इटावा जेल में निरूद्ध रहा हो।** यह कहना सही है कि अभियुक्त रानू जिला जेल इटावा में कब से बंद है जिसका उल्लेख मेरे द्वारा पर्चों में नहीं है। यह कहना गलत है कि अन्य अभियुक्तगण मौके से गिरफ्तार हुये हो और उनके बयानों में रानू का नाम आया हो।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

F- साक्षी पी.डब्लू.6 साक्षी सेवानिवृत्त एस.ओ रामशब्द ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि - वर्ष 2006 में मैं थानाध्यक्ष कुर्रा के पद पर तैनात था। दिनांक 15.04.2005 को समय 10:30 पी०एम० पर वादी मुकदमा श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अ०स०-37/2005 धारा-364 भा०दं०स० थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी पंजीकृत कराया गया था। वादी मुकदमा के पुत्र शिवकुमार भतीजा आदेश कुमार के अपहरण के संबध में अभियुक्तगण घनश्याम सिंह, प्रेम सिंह के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।जिनकी विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। सी०डी० का पर्चा नम्बर 01 दिनांक 15.04.2005 को किता किया गया इस पर्चे में नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी वीरेन्द्र सिंह, बयान एफ०आई०आर० लेखक महेन्द्रपाल सिंह के अंकित किये गये थे। दिनांक 17.04.2005 को सी०डी० का पर्चा नम्बर 02 किता किया गया इस पर्चे में अपहरणकर्ता अभियुक्तगण घनश्याम सिंह व प्रेमसिंह एवं पप्पू की गिरफ्तारी किये जाने का विवरण अंकित किया गया तथा मौके से अभियुक्त रानू पुत्र हित सिंह भाग गया था एवं अपहृत शिवकुमार व आदेश कुमार व उसके साथी लालू की बरामदगी का विवरण अंकित है। अपहृत शिवकुमार, आदेश कुमार व लालू व अभियुक्तगण घनश्याम, प्रेमसिंह व पप्पू के बयान अंकित किये जाने का विवरण अंकित है। उपरोक्त पर्चे में तीनों अपहृत का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने का विवरण अंकित है। दिनांक 27.04.2005 को सी०डी० का पर्चा नम्बर 03 किता किया गया इस पर्चे में बयान गवाह अरविन्द कुमार, बृजपाल सिंह, विजय बहादुर सिंह व शैलेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया तथा निरीक्षण घटना स्थल किया गया। मेरे द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। मेरे द्वारा तैयार किया गया मूल नक्शा नजरी पत्रावली के साथ संलग्न एस०टी० नम्बर 57/2006 पर कागज संख्या-4 अ से उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति इस पत्रावली पर कागज संख्या-46 अ/4 से उपलब्ध है यह नक्शा नजरी मूल नक्शा नजरी की छायाप्रति है, जो कि मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिस पर प्रदर्श-6 डाला गया। सी०डी० का पर्चा नम्बर 04 दिनांक 30.04.2005 को किता किया गया जिसमे भागे हुये अभियुक्त रानू की तलाश की गयी दस्तयाब नहीं हुआ एवं तीनो अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिये जाने का विवरण अंकित है। सी०डी० का पर्चा नम्बर 05 दिनाक 13.05.2005 को किता किया गया जिसमें तीनो अभियुक्तगण का रिमाण्ड व अभियुक्त रानू की गिरफ्तारी हेतु धारा 82 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही के लिये मा० न्यायालय से मांग की गयी। दिनांक 31.05.2005 को सी०डी० का पर्चा नम्बर 06 दिनांक 31.05.2005 को किता किया गया, इस पर्चे में अभियुक्त रानू की तलाश किये जाने का विवरण अंकित है। सी०डी० का पर्चा नम्बर 07 दिनांक 03.06.2005 को किता किया गया, इस पर्चे में अभियुक्त रानू की तलाश

व दबिश दिये जाने का विवरण अंकित है। सी०डी० का पर्चा नम्बर 08 दिनाक 08.06.2005 को किता किया गया, इस पर्चे में तीनो अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिये जाने का विवरण अंकित है। सी०डी० का पर्चा नम्बर 09 दिनांक 10.06.2005 को किता किया गया. इस पर्चे में अपहृत की मां, छोटी बिटिया का बयान अंकित किया गया व बयान एस०आई० ओमप्रकाश, का० जयवीर सिंह का बयान अंकित किया गया तथा एन०बी०डब्लू की तामीला किये जाने व न मिलने पर वारण्ट मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया था का विवरण अंकित है। सी०डी० का पर्चा नम्बर 10 दिनांक 30. 06.2005 को किता किया गया, इस पर्चे में का० रक्षपाल सिंह, का० मकबूल खां के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त रानू के विरूद्ध धारा 82 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय से प्रार्थना किये जाने का विवरण अंकित है। उपरोक्त मुकदमें की तमामी विवेचना व सबूत गवाहान संकलित करने के उपरान्त मैनें अभियुक्तगण घनश्याम उर्फ घिस्सू, प्रेमसिंह, पप्पू उर्फ बाबू सिंह के विरुद्ध आरोप धारा 364 भा०दं०स० का होना बखूबी पाया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-45/2005 मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा मूल प्रेषित आरोप पत्र पत्रावली के साथ संलग्न एस०टी० नम्बर 57/2006 की पत्रावली पर कागज संख्या-3 अ/1 लगायत अ/3 से उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति इस पत्रावली पर कागज संख्या-46 अ/5 लगायत 46 अ/7 से उपलब्ध है यह आरोप पत्र असल आरोप पत्र की छायाप्रति है जो कि मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श- 7 का डाला गया तथा अभियुक्त रानू के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। इस मुकदमें के चिक एफ०आई०आर० लेखक सी०सी० महेन्द्रपाल सिंह थे, सी०सी० महेन्द्रपाल सिंह मेरी तैनाती के दौरान मेरे साथ थाना कुर्रा पर तैनात रहे हैं मैनें उनको लिखते पढ़ते देखा है, इसलिये मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को जानता हूं। महेन्द्रपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका द्वितीयक साक्ष्य मैंने पूर्व में एस.टी नंबर 57/2006 पर दिया था। इस मुकदमें की चिक सी.सी महेन्द्रपाल सिंह के द्वारा किता की गयी है, जो कि एस.टी नं. 57/2006 की पत्रावली पर मूल चिक से उपलब्ध है एवं जी.डी की कार्बन प्रति भी इस पत्रावली पर उपलब्ध है, मूल चिक की छाया प्रति इस पत्रावली पर कागज संख्या 46 अ/8 लगायत 46 अ/9 से उपलब्ध है तथा जी.डी की छाया प्रति 46 अ/10 से उपलब्ध है जो कि असल की छायाप्रति है तथा सी.सी महेन्द्रपाल सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिन पर क्रमश प्रदर्श क-8 व प्रदर्श क-9 डाले गये।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि-

प्रश्न – इन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था।

उत्तरः अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर 24 घण्टे के अन्दर जनपद मैनपुरी कोर्ट में पेश किया था।

प्रश्न- गिरफ्तारी कहां से हुई थी और किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इटावा मे पेश किया था ?

उत्तर- गिरफ्तारी इटावा से हुई थी लेकिन इटावा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

प्रश्न – भागे हुये अभियुक्त रानू का नाम किसके बयानों में आया था ?

उत्तर- वादी के बयानों में आया था।

भागे हुये अभियुक्त का पीछा किया था लेकिन रात का समय था और उसको रास्ते की जानकारी थी इसलिये भागने में सफल रहा। **हम पुलिस वालों ने कोई बल प्रयोग नहीं किया था। मैंने जब जाननेकी कोशिश की तब उसके साथियों ने बताया था कि भागा हुआ अभियुक्त रानू था। फरार अभियुक्त रानू की जानकारी इटावा जेल में होने के बावत किस पर्चे में किता की है यह मैं नहीं बता सकता हूँ।**

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

7– अभियुक्त का ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिखा गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है। मेरे द्वारा कोई अपहरण नहीं किया गया है। अभियुक्त ने साक्षी पी.डब्लू.01 वीरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.2 शिव कुमार के साक्ष्य को गलत बताया व साक्षी पी.डब्लू.3 आदेश के साक्ष्य को भी झूठा बताया, साक्षी पी.डब्लू.04 डॉ.ए.के दुवे के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि मेरे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है, साक्षी पी.डब्लू.5 सेवानिवृत्त एस.आई पन्नालाल यादव के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि झूठी विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया है, साक्षी पी.डब्लू.6 सेवानिवृत्त एस.ओ रामशब्द के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि मेरे विरूद्ध कोई विवेचना नहीं की है, न ही चार्जशीट दी है एफ.आई.आर व जी.डी झूठी दर्ज है। मुकदमा झूठा चलने का कथन किया और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा अपने साक्षियों के माध्यम से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। साक्षी पी.डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 स्वयं अपराध के पीड़ित हैं और उनके द्वारा अभियुक्त की पहचान एवं स्वयं के बंधक रखने का विस्तृत विवरण दिया गया है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य के रूप में साक्षी पी.डब्लू.2 के द्वारा जबरदस्ती लिखाये गये फिरौती के पत्र को सिद्ध कराया गया है, चिकित्सीय साक्षी भी

पीड़ित से मार–पीट की पुष्टि करता है। प्रकरण लगभग बीस वर्ष पुराना है एवं इस कारण छोटे–मोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक है, जिनसे मूल अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, मुख्यतः इन्हीं आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया है।

9– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त रानू उर्फ मिथलेश न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और न उसके विरूद्ध कोई गिरफ्तारी, बरामदगी शिनाख्त परेड अथवा स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से कोई पुष्टिकरण है। साक्षी पी.डब्लू.1 कथित घटित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं उसके द्वारा दी गयी साक्ष्य में अनेक विरोधभास एवं विसंगतियां हैं। साक्षी पी.डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 जो कि कथित रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं। उन दोनों के साक्ष्य में नदी, स्वयं को बांधने की गयी मारपीट, भागने के तरीके, कथित व्यक्ति लल्लू की भूमिका और अभियुक्त की पहचान के सम्बन्ध में अनेक विरोधाभास हैं। धारा 364 भा.दं.सं के आरोप के लिये पीड़ितों की हत्या के उद्वेश्य का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। सभी साक्षियों द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल सत्र परीक्षण संख्या 57/06 में ध्यान देते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण इस प्रकरण की मूल एफ.आई.आर में नामजद सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। वास्तव में अपने पिता से पैसे एठने के उद्वेश्य से कथित पीड़ित पी.डब्लू.2 शिवकुमार द्वारा पी.डब्लू.3 आदेश के साथ मिलकर स्वयं व आदेश के अपहरण का झूठा नाटक किया गया एवं बाद में जब पैसा नहीं मिला तो कथित पीड़ितों द्वारा उक्त नाटक को खत्म करते हुये स्वयं ही अपने पिता के पास वापस आने पर एक झूठी कहानी बनायी गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी साक्ष्यों ने अनेक विरोधाभास हैं। मुख्यतः इन्हीं आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कथन किया गया।

10– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 06.04.2005 को समय 08.30 ए.एम पर वादी वीरेन्द्र सिंह के घर पर व स्थान ग्राम रम्पुरा थाना कुर्रा जिला मैनपुरी में अभियुक्त ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर शिव कुमार व आदेश कुमार का अपहरण जान से मारने की नीयत से किया।

इस न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन द्वारा साक्षियों के माध्यम से अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित किया गया है या नहीं?

निष्कर्ष

11– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रानू का पृथक विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के आरोप के सम्बन्ध में किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार

कथित पीड़ित शिवकुमार व आदेश कुमार को पहले नामजद व्यक्तियों द्वारा बहाने से बाहर ले जाया गया और बाद में ईंटों के भट्टे से रानू और उसके साथियों ने उन्हें पकड़कर नदी के पास ले जाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। स्वीकृत रूप से अभियुक्त रानू प्रारम्भिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था और उसका नाम विवेचना के दौरान कथित अपहृत व्यक्तियों के कथनों के प्रकाश में आया। नामजद अभियुक्तों का विचारण पूर्व में ही समाप्त हो चुका है जिसमें उन्हें दोषमुक्त किया गया है जबकि अभियुक्त रानू के फरार रहने के कारण उसका विचारण बाद में पृथक रूप से किया गया।

12– धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता प्रावधानित करती हैः–

" जो कोई इसलिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाये या उसको ऐसे व्ययनित किया जायेगा कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसके अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु जिन प्रासंगिक विधि व्यवस्थाओं का मार्ग दर्शन न्यायालय द्वारा लिया गया है, वे निम्न प्रकार हैंः–

> ***1– कालीनचरन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1973)2 SCC 808*** *में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधानित किया गया है कि आपराधिक विचारण में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। बचाव पक्ष की कहानी असिद्ध या कम विश्वसनीय हो, तब भी अभियोजन की कमी पूरी नहीं होती। यदि दो युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव हो तो अभियुक्त के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाता है।*
>
> ***2– पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर (2000)8 SCC 382*** *में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 364 भा.द.सं के लिये केवल अपहरण या व्यपहरण पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि अपहरण/व्यपहरण इस उद्देश्य से किया गया था कि पीड़ित की हत्या की जाये या उसे इस प्रकार रखा जाये कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ जाये। उक्त उद्देश्य अपहरण/व्यपहरण के समय विद्यमान होना चाहिए, केवल बाद की घटना से यह तत्व स्वतः सिद्ध नहीं होता है।*
>
> ***3– दाना यादव बनाम बिहार राज्य (2002)7 SCC 295 एवं अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य, आपराधिक अपील***

*संख्या 993/2012 व 992/2012 निर्णय दिनांकित 11/07/2022 **में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि** शिनाख्त परेड सब्सटेंटिब साक्ष्य नहीं होती, किन्तु जब अभियुक्त साक्षी को पूर्व से ज्ञात न हो, तब वह न्यायालय के समक्ष पहचान की विश्वसनीयता परखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पहली बार न्यायालय में की गयी पहचान स्वभावतः कमजोर होती है और सामान्यतः पूर्व शिनाख्त अथवा अन्य ठोस पुष्टीकरण अपेक्षित होता है।*

***4– खज्ञी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1991) 3 SCC 627 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि** किसी गवाह के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से उसकी पूरी गवाही अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाती, विश्वसनीय अंश का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जब वही साक्षी घटना के मूल स्वरूप, अपराधियों की पहचान और घटना में अभियुक्तगण की सहभागिता पर अलग–अलग न्यायिक मंचों पर परस्पर असंगत कथन करता है, तब उसकी वर्तमान गवाही को अत्यधिक सावधानी से और स्वतंत्र पुष्टीकरण के साथ परखा जाना आवश्यक है।*

हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 57/06 में नामजद अभियुक्तगण की दोषमुक्ति वर्तमान अभियुक्त को स्वतः दोषमुक्त नहीं करती। प्रत्येक पृथक विचारण में आरोपित अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। फिर भी यदि घटना के वही प्रमुख साक्षी पूर्व विचारण में घटना और अभियुक्तगण की भूमिका का समर्थन न करे और हस्तगत/वर्तमान विचारण में बिना किसी स्वतंत्र पुष्टीकरण के विपरीत संस्करण के तो यह उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति है।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु सर्वप्रथम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

13 – तथ्य के साक्षियों पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा वीरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.2 कथित अपहृत शिवकुमार व पी.डब्लू.3 कथित अपहृत आदेश कुमार की साक्ष्य का विश्लेषणः–

हस्तगत प्रकरण में तथ्य का प्रथम साक्षी जो अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है वह पी.डब्लू.01 वीरेन्द्र सिंह जो कि हस्तगत प्रकरण का वादी मुकदमा भी है। उक्त

साक्षी के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि उक्त साक्षी कथित घटित अपहरण/व्यपहरण की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 06/05/2005 को सुबह 8.30 बजे उसके गांव के घनश्याम व प्रेमसिंह उसके घर आये और उन्होंने उसके चचेरे भाई विजयबहादुर से कहा कि उन्हें सुदेश पुत्र शिवपाल की जमानत हेतु कथित अपहृत शिवकुमार व आदेश कुमार को इलाहाबाद लेकर जाना है और उसके बाद वे लोग कथित अपहृत शिवकुमार व आदेश कुमार को लेकर चले गये एवं उनके कई दिनों तक वापस न आने पर साक्षी द्वारा थाने में तहरीर दी गयी। इसके बाद उक्त साक्षी द्वारा स्वयं के नाम कथित अपहृत व्यक्तियों की पकड़ के सम्बन्ध में फिरौती को लेकर 8–9 दिन बाद उसके पुत्र कथित अपहृत शिव कुमार द्वारा लिखा गया एक पत्र प्राप्त होने का कथन भी किया गया, इसके पश्चात उक्त साक्षी द्वारा दिनांक 17/04/2005 को उसके लड़के शिवकुमार भाई आदेश व एक अन्य व्यक्ति लल्लू को पुलिस द्वारा उसे सुपुर्द करने व सुपुर्दगी की फर्द को सिद्ध करने का कथन किया गया। इसके पश्चात उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि कथित अपहृत व्यक्ति को घनश्याम व प्रेमसिंह ने हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त रानू को दस लाख रूपये में बेचने का कथन किया। उक्त साक्षी की साक्ष्य से उलट कथित अपहृत व्यक्ति शिवकुमार व आदेश ने स्वयं को हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त रानू को घनश्याम व प्रेमसिंह द्वारा दस लाख रूपये में बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया अपितु किसी चांद मिया के भट्टे से रानू व उसके साथियों द्वारा स्वयं को जबरदस्ती नदी के पार ले जाकर जबरदस्ती बंधक बनाये जाने का कथन किया। कथित अपहृत व्यक्तियों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वे घनश्याम व प्रेमसिंह के साथ अपनी मर्जी से गये थे एवं उनके कथित अपहरण/ व्यपहरण की घटना चांद मिया के भट्टे से रानू व उसके साथियों द्वारा अमल में लायी गयी थी। उक्त तथ्य से बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि पी.डब्लू.1 वादी वीरेन्द्र सिंह कथित अपहरण/व्यपहरण की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 57/06, जो कि हस्तगत प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण के विचारण से सम्बन्धित मूल पत्रावली है, में साक्षी द्वारा दिये गये बयान को दिखाया गया तो उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उसने मुल्जिमान घनश्याम, प्रेम सिंह व पप्पू के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है और सत्र परीक्षण संख्या 57/06 में उसके बयान दिनांकित 23/03/2004 पर उसके हस्ताक्षर हो सकते हैं पर उसे याद नहीं एवं यह बात सही है कि उसने अपने बयानों में यह बात बतायी कि कथित अपहृत शिवकुमार व आदेश कुमार ने किसी गिरोह का नाम पकड़ करने वालों का नहीं बताया था और गिरोह के सम्बन्ध में कोई बात नहीं बतायी थी। यह बात भी सही है कि उसके पास पकड़ छुड़ाने के लिये

7,51,000/– रूपये की चिट्ठी आयी थी एवं उसने व गांव वालों ने अभियुक्त रानू द्वारा कथित अपहृत व्यक्तियों को ले जाते हुये नहीं देखा तथा साक्षी यह नहीं बता सकता कि उसे यह बात किसने बतायी थी कि अभियुक्त रानू को घनश्याम व प्रेमसिंह पकड़ के रूप में दस लाख रूपये में बेच दिया है। सर्वप्रथम तो उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया कि कथित अपहृत शिवकुमार व आदेश कुमार ने उसे उनके पकड़ करने वाले किसी व्यक्ति या गिरोह का नाम नहीं बताया था और पुनः जहां उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि पूर्व निर्णित पत्रावली के अभियुक्त घनश्याम व प्रेमसिंह ने इस प्रकरण के अभियुक्त रानू को कथित अपहृत व्यक्तियों को दस लाख रूपये में बेच दिया था तो वहीं उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता जिसने उसे इस विषय में बताया था। पुनः यदि उक्त साक्षी के उक्त कथन पर विश्वास भी कर लिया जाये तो उक्त साक्षी के कथनानुसार हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त रानू द्वारा दस लाख रूपये देकर कथित अपहृत व्यक्तियों को खरीदकर पकड़ की गयी तो किस कारण से अभियुक्त रानू द्वारा फिरौती में 7,51,000/– रूपये मांगे गये थे, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि कथित अपहृत व्यक्तियों को घनश्याम व प्रेमसिंह सुबह 8.30 बजे अपने साथ लेकर गये थे तो वहीं कथित अपहृत पी.डब्लू.2 शिवकुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि घटना वाले दिन शाम को 4–5 बजे घनश्याम व प्रेमसिंह उसे ले जाने आये थे। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि उसने अपने बयान दिनांकित 03/01/2020 में कथन किया है कि उसके पुत्र शिवकुमार व भाई आदेश कुमार को जब मुल्जिमान ले गये थे तब अरविन्द व बृजपाल ने देखा था, किन्तु उसने इन लोगों के कहने पर नहीं बल्कि घनश्याम की मां के कहने पर इन लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। यहां यह उल्लेखनीय हो जाता है कि सत्र परीक्षण संख्या /57/06 के अन्तर्गत घनश्याम नामजद अभियुक्त था, तो घनश्याम की मां किस कारण से स्वयं के पुत्र के विरूद्ध साक्षी को तहरीर देने के लिये कहेगी यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी मात्र अपहृत व्यक्तियों को स्वयं के घर से घनश्याम व प्रेमसिंह के द्वारा सुदेश की जमानत हेतु इलाहाबाद ले जाने का प्रत्येक्षदर्शी साक्षी बताया गया है एवं जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त साक्षी द्वारा अपहृत व्यक्तियों को ले जाने व हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त को बेचने का कथन किया गया है उन अभियुक्तगण घनश्याम व प्रेमसिंह को पूर्व में सत्र परीक्षण संख्या 57/06 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। उक्त साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि न तो उक्त साक्षी कथित अपहरण/ व्यपहरण की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी था और उक्त साक्षी

की साक्ष्य में आये विसगंतियों एवं विरोधाभासों के कारण उक्त साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय भी नहीं माना जा सकता।

14– हस्तगत प्रकरण के वादी की साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त कथित अपहृत व्यक्तियों शिवकुमार व आदेश कुमार की साक्ष्य का विश्लेषण भी आवश्यक हो जाता है। कथित अपहृत पी.डब्लू.2 शिवकुमार व पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने अपने–अपने साक्ष्य में कथित अपहरण/व्यपहरण, बंधक रखने की स्थिति, अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट, भागने बंदी स्थल इत्यादि के सम्बन्ध में विवरण दिया है। उक्त दिये गये विवरण में पी.डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 के कथनों में कई मूल भूत विरोधभास परिलक्षित होते हैं। जहां साक्षी पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने स्वयं व आदेश कुमार को अभियुक्त रानू व उसके साथियों द्वारा यमुना नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर बंधक बनाकर रखा तो वहीं साक्षी पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया कि अभियुक्त रानू व उसके साथियों ने उसे व शिवकुमार को चंबल नदी के दूसरे किनारे पर एक टीले पर बंधक बनाकर रखा। इसके अतिरिक्त जहां साक्षी पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया कि अभियुक्त रानू व उसके साथियों ने उसके व आदेश कुमार के साथ बहुत मारपीट की तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने कथन किया कि अभियुक्त रानू व उसके साथियों द्वारा सिर्फ शिवकुमार के साथ मारपीट की गयी और उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त जहां पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने कथित बदमाशों द्वारा स्वयं व आदेश कुमार को बांधने के सम्बन्ध में अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि बदमाशों द्वारा उन दोनों का सिर्फ एक पैर बांधा गया था हाथ नहीं बांधे गये थे तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि मुल्जिमान केवल हाथ बांधकर रखते थे, पैर नहीं बांधते थे। इसके अतिरिक्त कथित बंधक स्थल पर स्वतंत्र व्यक्तियों के आने जाने के सम्बन्ध में जहां पी.डब्लू.2 शिवकुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि जहां वह बंधक रहा वहां उतने तक कोई चरवाहा नहीं आया तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार द्वारा कथन किया गया कि जहां मुल्जिमानों ने उसे रखा था वहां जानवर चराने लोग आते जाते थे। इसके अतिरिक्त जहां पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने कथित बंधक स्थल से स्वयं एवं आदेश कुमार के भागने का कथन किया तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने स्वयं व शिवकुमार के साथ किसी लालू नाम के व्यक्ति के भी भागने का कथन किया। इसके अतिरिक्त कथित बंधक स्थल से नदी की दूरी के सम्बन्ध में जहां पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने एक किलोमीटर दूर होने का कथन किया तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने चार–पांच किलोमीटर दूरी होने का कथन किया। इसके अतिरिक्त स्वयं के भागते समय नदी पार करने के सम्बन्ध में जहां पी.डब्लू.2 शिवकुमार ने जमुना नदी पार

करने का कथन किया तो वहीं पी.डब्लू.3 आदेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया कि जब वह भागे तो चम्बल नदीं पार की थी जमुना नदीं नहीं।

15– काफी समय बीत जाने से साक्षियों के साक्ष्य के गौंण विवरण में अन्तर आना स्वभाविक हो सकता है किन्तु उक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य में आये विरोधभास मात्र समय , दिशा या दूरी की छोटी त्रुटियां नहीं अपितु वे बंधन की प्रकृति, घटना स्थल, नदी, मारपीट, स्वतंत्र व्यक्तियों की घटना स्थल पर मौजूदगी व पलायन की मूल प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं। दोनों कथित पीड़ितों पर एक साथ बंधक रहना बताया गया है, इसलिये इन केन्द्रीय तथ्यों पर उनके विवरणों का इतनी सीमा तक अलग होना अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

16– इसके अतिरिक्त यदि पी.डब्लू.2 शिवकुमार की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो अभियोजन कथानक के अनुसार जहां उक्त साक्षी को घनश्याम व प्रेम सिंह द्वारा सुदेश की जमानत हेतु इलाहाबाद ले जाने का प्रारम्भिक कथन किया गया है तो वहीं उक्त साक्षी के अनुसार उसे घनश्याम नौकरी का लालच देकर इटावा लेकर आया था। उक्त साक्षी का उक्त कथन सम्पूर्ण अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसके अतिरिक्त ईंट भट्टे पर कथित अपहरण/ व्यपहरण की घटना के सम्बन्ध में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण उसकी आँख बंद करके भट्टे के पास में सौ मीटर की दूरी पर स्थित कुयें पर ले गये थे एवं रास्ते में अर्थात् कुयें व भट्टे के बीच में झोपड़ी थी जिसमें भट्टे की लेबर थी तो जब उक्त साक्षी के कथनानुसार अभियुक्तगण द्वारा उसकी आँखे बंद कर दी गयी थी तो उसके द्वारा रास्ते की झोपड़ी व उसमें उपस्थित लेबर किस प्रकार देखी गयी या उसे इस बारे में किस प्रकार ज्ञात हुआ यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि जब वह छूटकर भागा तो उसने रास्ते में किसी को नहीं बताया कि उसकी पकड़ हुई थी और वह छूटकर भाग रहा है। यदि कोई व्यक्ति पकड़ से छूटकर भागे तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों से मदद अवश्य मांगेगा, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी को बताया भी न जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.2 शिवकुमार व पी.डब्लू.3 आदेश कुमार द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि न तो पुलिस द्वारा अभियुक्त रानू की उनसे शिनाख्त परेड करायी गयी और न ही पुलिस उन्हें कथित अपहरण/ व्यपहरण के घटना स्थल या बंधक रखने वाले घटना स्थल पर लेकर गयी थी। उक्त तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर पत्रावलित नक्शा नजरी से भी होती है कि विवेचक द्वारा उक्त दोनों आपराधिक घटनाओं के घटना स्थल पर न तो कभी कोई विवेचना की गयी और न ही कोई नक्शा नजरी बनाया गया।

17– यदि दोनों अपहृतों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले साक्षी पी.डब्लू.4 डॉ. ए.के दुबे के साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो उनके अनुसार दोनों अपहृत को रगड़ इत्यादि जैसी साधारण चोटें आये थी एवं यदि किसी व्यक्ति को कई दिन तक लगातार रस्सी या जंजीर से बांधकर रखा जाये तो उसके निशान अवश्य बनेंगे, किन्तु अपहृत व्यक्तियों के शरीर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे। अभियोजन कथानक व अपहृत व्यक्तियों के अनुसार उन्हें लगातार बांधकर रखा गया था तो भी उनके शरीर पर बांधने के कोई निशान न आना अभियोजन कथानक व अपहृतों के साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है। उपर्युक्त किये गये सभी विवेचन से न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि कथित अपहृत साक्षियों पी.डब्लू.2 शिवकुमार व पी.डब्लू.3 आदेश कुमार के साक्ष्य में भी गंभीर विरोधाभास व विसगंतियां मौजूद है जिस कारण उनकी साक्ष्य की विश्वसनीयता भी पूर्ण रूप से संदेहास्पद हो जाती है।

18– हस्तगत प्रकरण के विवेचक पी.डब्लू.5 पन्नालाल यादव एवं पी.डब्लू.6 रामशब्द के साक्ष्य का विश्लेषणः–

साक्षी पी.डब्लू.5 पन्नालाल यादव द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त रानू की कथित आपराधिक घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं मात्र औपचारिक श्रेणी के साक्षी की तरह अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने का साक्ष्य दिया गया। इसी प्रकार पी.डब्लू.6 रामशब्द द्वारा भी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त रानू की कथित आपराधिक घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य या प्रमाण नहीं दिया गया एवं मात्र औपचारिक श्रेणी के साक्षी की तरह अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध किया गया है। पुनः पी.डब्लू 5 विवेचक पन्नालाल की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त रानू किसी अन्य केस में इटावा जेल में निरूद्ध होने के कारण बी वारंट पर इस केस में तलब किया गया था, किन्तु साक्षी को प्रयास करने पर भी यह पता नहीं चला कि अभियुक्त रानू इटावा जेल में कब से निरूद्ध था और उसे यह जानकारी नहीं कि कथित घटना से पूर्व से ही अभियुक्त रानू इटावा जेल में निरूद्ध रहा हो। उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि कथित घटित घटना में अभियुक्त रानू की संलिप्तता के सम्बन्ध में विवेचकों द्वारा ठीक प्रकार से विवेचना नहीं की गयी और वह भी तब जबकि अभियुक्त रानू की कथित घटित घटना में संलिप्तता होने के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

19– अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषणः–

अभियुक्त रानू पर धारा 364 भा.दं.सं के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि धारा 364 भा.दं.सं का आरोप सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि अपहृत व्यक्ति का अपहरण/ व्यपहरण उसकी हत्या करने या हत्या के

खतरे में डालने के उद्देश्य से किया गया था किन्तु अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त रानू द्वारा अपहृत व्यक्तियों की स्पष्ट धमकी, हत्या की तैयारी, जानलेवा हथियार के प्रयोग, हत्या के प्रयास या ऐसे विशिष्ठ आचरण विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं है क्योंकि पी.डब्लू.3 आदेश कुमार के अनुसार उन्हें बदमाशों द्वारा कई दिनों तक भोजन दिया गया था और भोजन के समय उनके हाथ भी खोले जाते थे। जहां तक अभियोजन द्वारा पत्रावलित किये गये प्रदर्श क–2 फिरौती के पत्र का प्रश्न है तो उक्त पत्र को किसी भी साक्ष्य से अभियुक्त रानू से जोड़ा नहीं जा सका कि उक्त पत्र उसके द्वारा लिखवाया गया था क्योंकि उक्त पत्र में न तो अभियुक्त का नाम है एवं उक्त पत्र दोनों पन्नों में लिखा गया है जिसमें स्वीकृत रूप से हस्तलेख अलग–अलग व्यक्तियों का है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत रूप से अभियुक्त रानू का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था और जिन साक्षियों के साक्ष्य में उक्त अभियुक्त का नाम आने के कारण उसे आरोपित किया गया, उन साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता को न्यायालय पूर्व में संदेहास्पद मान चुका है। पुनः लिखित सूचना का स्वभाविक महत्व इस कारण है कि वह घटना के प्रारम्भिक चरण संस्करण प्रस्तुत करती है एवं उसमें आरोपित अभियुक्तगण घनश्याम व प्रेम सिंह को सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत रूप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

समस्त साक्ष्य का संचई मूल्यांकन करने पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता है किः–

1– अभियुक्त रानू प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था और उसका नाम बाद में आया है।

2– कथित पीड़िता उसे पूर्व से निश्चित रूप से नहीं जानते थे फिर भी शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी।

3– कथित अपहृत पी.डब्लू.2 शिवकुमार और पी.डब्लू.3 आदेश कुमार के कथनों में घटना के मूल पहलूओं पर गंभीर विरोधभास है।

4– वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 सुरेन्द्र सिंह कथित घटित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

5– पूर्व विचारण में साक्षियों के विपरीत रूख के कारण वर्तमान गवाही को स्वतंत्र पुष्टीकरण की आवश्यकता थी जो उपलब्ध नहीं अपितु साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

6– कथित फिरौती पत्र और चिकित्सा साक्ष्य अभियुक्त रानू की पहचान व भूमिका का स्वतंत्र प्रमाण नहीं देते हैं।

7– धारा 364 भा.दं.सं के लिये आवश्यक हत्या का उद्देश्य या हत्या के खतरे में डालने का उद्देश्य सिद्ध नहीं है।

अतः अभियोजन अपने साक्षियों के माध्यम से अभियुक्त रानू के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 364 भा.दं.सं को युक्ति युक्त रूप से संदेह की सीमा से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उपलब्ध साक्ष्य धारा 365 भा.दं.सं अथवा किसी अन्य लघुत्तर अपराध में भी दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुये दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 659/2008, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रानू, मु.अ.सं 37/05 धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कुर्रा, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत अभियुक्त रानू को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त जमानत पर है। उसके बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपील न होने दशा में बाद मियाद अपील व अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विधि अनुसार माल मुकदमाती निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त द्वारा द.प्र.सं की धारा 437ए के अन्तर्गत **20,000/–** रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू इस अंडर टेकिंग के साथ अंदर सात दिन दाखिल किये जायें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील होती है तो वह स्वयं उपस्थित होगा।

दिनांक 29.07.2026 **(स्वपन दीप सिंघल)UP2717**

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–5,

मैनपुरी।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 29.07.2026 **(स्वपन दीप सिंघल)UP2717**

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–5,

मैनपुरी।

आशुलिपिक– निपेन्द्र सिंह

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.08.03 14:20:58 +0530